


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2015/चैत्र 23, 1937

No. 227]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2015/CHAITRA 23, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 2 मार्च, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 283(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार के परामर्श से विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 (03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.1/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-

- i. ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।
- ii. वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम में संशोधन:-विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 (03 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.1/2000-आरबी) में, विनियम 4 में, उप-विनियम (बी) में,

- (i) मौजूदा “स्पष्टीकरण” को क्रमांक (i) दिया जाएगा और
- (ii) निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(ii) चिट फंड के रजिस्ट्रार अथवा राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, किसी चिट फंड को किसी अनिवासी भारतीय से अभिधान स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है। अनिवासी भारतीय व्यक्ति बैंकिंग चैनल से और अप्रत्यावर्तनीय आधार पर, समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, बिना किसी सीमा के ऐसे चिट फंड में अभिधान करने के लिए पात्र होगा।”

[सं. फेमा./337/2015-आरबी]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबन्धक

पाद टिप्पण : मूल विनियमावली 5 मई, 2000 के सा.का.नि. सं. 384(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:—

सा.का.नि. सं. 207(अ) 23 मार्च, 2004

सा.का.नि. सं. 14(अ) 5 जनवरी, 2008

सा.का.नि. सं. 551(अ) 14 अगस्त, 2013

सा.का.नि. सं. 488(अ) 11 जुलाई, 2014

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd March, 2015

Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Second Amendment) Regulations, 2015

G.S.R. 283(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes, in consultation with the Central Government, the following amendments in the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 1/2000-RB dated 3rd May, 2000) namely:-

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Second Amendment) Regulations, 2015.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to the Regulation.—In the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations 2000 (Notification No. FEMA 1/2000-RB dated 3rd May, 2000), in Regulation 4, in sub-regulation (b),—

- (i) the existing ‘explanation’ shall be numbered as (i) and
- (ii) the following new explanation shall be added, namely:

“(ii) The Registrar of Chits or an officer authorised by the state Government in this behalf, may, in consultation with the State Government concerned, permit any chit fund to accept subscription from Non-resident Indians. Non-resident Indians shall be eligible to subscribe, through banking channel and on non-repatriation basis, to such chit funds, without limit subject to the conditions stipulated by the Reserve Bank of India from time to time”.

[No. FEMA./337/2015-RB]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. No. 384(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide*—

G.S.R. 207(E) dated March 23, 2004

G.S.R. 14(E) dated January 5, 2008

G.S.R. 551(E) dated August 14, 2013

G.S.R. 488(E) dated July 11, 2014

अधिसूचना

मुम्बई, 2 मार्च, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 284(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) एवं धारा-47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (03 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

- ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।
- वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 5 में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (03 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में अनुसूची 5 में, पैराग्राफ 2 में, उप-पैरा (2) के बाद,—

(i) “भारत से बाहर का निवासी किसी व्यक्ति”..... से प्रारंभ और “समय-समय पर” शब्दों से समाप्त मौजूदा पैराग्राफ 2A को पैराग्राफ 2B के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा।

(ii) पैराग्राफ 2B के बाद निम्नलिखित नया उप-पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(2C) कोई अनिवासी भारतीय चिट फंड के रजिस्ट्रार अथवा राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत चिट फंड में बिना किसी सीमा के और अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अभिधान कर सकता है, बशर्ते ऐसे अभिधान सामान्य बैंकिंग चैनल से किए जाएँ।”

[सं. फेमा./338/2015-आरबी]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबन्धक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली 8 मई, 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:—

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001

सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002

सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001

सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002

सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001

सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003

सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003
सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003
सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003
सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003
सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004
सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004
सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
सा.का.नि. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010
सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013

सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013
सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013
सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 487 (अ) दिनांक 11.07.2014
सा.का.नि. सं. 632 (अ) दिनांक 02.09.2014
सा.का.नि. सं. 798 (अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 799 (अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 800 (अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 829 (अ) दिनांक 21.11.2014
सा.का.नि. सं. 906 (अ) दिनांक 22.12.2014
सा.का.नि. सं. 914 (अ) दिनांक 24.12.2014
सा.का.नि. सं. 30 (अ) दिनांक 14.01.2015

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd March, 2015

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2015

G.S.R. 284(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000) namely:—

1. Short Title & Commencement:—

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Second Amendment) Regulations, 2015.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Schedule 5.—In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), in Schedule 5, in paragraph 2, after sub-paragraph (2),

- i. The existing paragraph 2A starting with the words, “A person resident outside India” and ending with the words..... “from time to time” shall be renumbered as paragraph 2B.
- ii. After paragraph 2B, the following new sub-paragraph shall be added, namely:

“(2C) A Non-resident Indian may, without limit and on non-repatriation basis, subscribe to the chit funds authorised by the Registrar of Chits or an officer authorised by the State Government in this behalf, provided such subscriptions are made through normal banking channels.”

[No. FEMA./338/2015-RB]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Foot Note:—The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005
G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R. No. 341 (E) dated 21.04.2010

G.S.R. No. 821 (E) dated 10.11.2012	G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013
G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012	G.S.R. No. 683(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012	G.S.R. No. 189(E) dated 19.03.2014
G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012	G.S.R. No.190(E) dated 19.03.2014
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012	G.S.R. No. 270(E) dated 07.04.2014
G.S.R. No. 945 (E) dated 31.12.2012	G.S.R. No. 361(E) dated 27.05.2014
G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012	G.S.R. No. 370(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013	G.S.R. No. 371(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 515(E) dated 30.07.2013	G.S.R. No. 435(E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 532(E) dated 05.08.2013	G.S.R. No. 400(E) dated 12.06.2014
G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013	G.S.R. No. 436(E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 344(E) dated 29.05.2013	G.S.R. No. 487(E) dated 11.07.2014
G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013	G.S.R. No. 632(E) dated 02.09.2014
G.S.R. No.393(E) dated 21.06.2013	G.S.R. No. 798(E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 591(E) dated 04.09.2013	G.S.R. No. 799(E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 596(E) dated 06.09.2013	G.S.R. No. 800(E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 597(E) dated 06.09.2013	G.S.R. No. 829(E) dated 21.11.2014
G.S.R. No. 681(E) dated 11.10.2013	G.S.R. No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R. No. 682(E) dated 11.10.2013	G.S.R. No. 914(E) dated 24.12.2014
G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013	G.S.R. No. 30(E) dated 14.01.2015